UPBJ240019572018

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
मूलवाद संख्या– 493/2018
विनोद कुमार बनाम अनिल कुमार

18–04–2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

वादी की ओर से प्रार्थनापत्र क–14 अन्तर्गत आदेश 32 नियम 3 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त वाद में प्रतिवादी अनिल कुमार का कुछ समय पूर्व देहान्त हो गया है। अनिल कुमार ने अपनी मृत्यु पर जायज वारिस अपनी पत्नी शालिनी देवी व पुत्र कुणाल नाबालिग आयु 14 वर्ष छोड़े हैं। वारिस कुणाल के नाबालिग होने के कारण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त प्रार्थनापत्र वादी के द्वारा प्रतिवादी के विधिक वारिस कुणाल के अवयस्क होने के कारण प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी अनिल कुमार की अन्य विधिक वारिस शालिनी, जो कि अवयस्क की माता है, का कोई भी हित नाबालिग कुणाल के विरूद्ध नहीं है। प्रार्थनापत्र के समुचित निस्तारण हेतु प्रस्तावित प्रतिवादी संख्या 1/1 को सुना जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रस्तावित प्रतिवादी सं01/2 की माता प्रस्तावित प्रतिवादी सं01/1 को नोटिस दिनांक 12.05.2022 के लिये जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी करे।

पत्रावली दिनांक 12.05.2022 को अग्रिम आदेश हेतु पेश हो।

(अखिल कुमार निझावन)
सिविल जज (जू0डि0)
नजीबाबाद, बिजनौर।
यू.पी. 03212